Done

राजस्थान – सरकार

कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी./तक–2/दिशा निर्देश/2017–18/ 3517-3686 दिनांक : 31/05/17

1. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
2. परियोजना निदेशक कृषि (वि0) सी.ए.डी कोटा
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार) इ.गा.न.प. बीकानेर

विषयः– पौध संरक्षण यंत्र/रसायन/खरपतवारनाशी वितरण कार्यक्रम–क्रियान्विति हेतु दिशा निर्देश वर्ष 2017–18

कृषि उत्पादन में समन्वित कीट प्रबन्धन के माध्यम से कीट नियंत्रण एक सफल विधि है। प्रभावी कीट नियंत्रण से अच्छी गुणवत्ता के साथ–साथ अधिक कृषि उत्पादन प्राप्त किया जा सकता हैं। कीट–व्याधि का प्रकोप फसलों में ई0टी0एल0 (Economic Threshold Level) से अधिक होने पर समन्वित कीट प्रबन्धन के अतिरिक्त फसलों में रसायनों का उपयोग (छिड़काव/भुरकाव) कर फसलों को बचाया जा सकता है। कृषि उत्पादन में खरपतवारनाशी रसायनो के माध्यम से खरपतवारों का प्रबन्धन एक सफल विधि है। इससे लागत कम आती है तथा समय की बचत होती है। खरपतवार फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालते है। इसके अलावा ये रोगों व कीटों को आश्रय देते है । खरपतवारनाशी रसायनों का प्रयोग सही समय पर उचित मात्रा में करके इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है । रसायनों के सही एवं समुचित छिड़काव हेतु उन्नत पौध संरक्षण यत्रो का प्रयोग किया जाता हैं तथा इनके उपयोग से कृषको को रसायनो के छिड़काव के दौरान होने वाले हानिकारक दुष्प्रभावों से बचाया जा सकता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनान्तर्गत पौध संरक्षण यंत्रों/रसायन/खरपतवारनाशी के वितरण कार्यक्रम के उद्देश्यपरक, गुणवत्तापूर्वक व प्रभावी क्रियान्वयन के लिये दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवायें जा रहे है।

संलग्नः–दिशा निर्देश

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांकः–एफ.4( )पी.पी./तक–2/दिशा निर्देश/2017–18/ दिनांक : 3517-3686 — 31/05/17

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय/माननीय पंचायतीराज मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राज0 जयपुर ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राज0 जयपुर ।
6. समस्त जिला कलेक्टर .....।
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार/आदान/अनु./एनएमओओपी/समन्वयक/उद्यान) मु. ।
8. उप सचिव, किसान आयोग, राजस्थान, जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) ..... ।
10. संयुक्त निदेशक कृषि (योजना/आदान/पौध संरक्षण/गु. नि./जउप्र/शस्य एटीसी/प्र. एवं मू./विस्तार/रसायन)/उप निदेशक कृषि (अभियांत्रिकी, सूचना, विस्तार, चारा विकास/सांख्यिकी) को नॉडल ऑफिसर के रूप में पर्यवेक्षण हेतु।
11. समस्त उप निदेशक, कृषि (विस्तार) जिला परिषद .....।
12. समस्त सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) .....।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
15. आरक्षी पंजिका।

31.5.17

(एच.एस.मीना)
संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.)

(2)

पौध संरक्षण यंत्रों बीज उपचार ड्रम सहित /रसायनों/खरपतवारनाशी का वितरण

दिशा – निर्देश

1. इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य के कृषकों को कीट रोग का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर (Economic Threshold Level) से अधिक होने पर पौध संरक्षण रसायन अनुदान पर उपलब्ध कराना, खरपतवार नियंत्रण की आवश्यकता होने पर खरपतवारनाशी अनुदान पर उपलब्ध कराकर खरपतवारों से कृषि उत्पादन में होने वाली हानि को कम करना तथा उपयोग किये जा रहे रसायन का प्रभावी उपयोग करने हेतु उपयुक्त पौध संरक्षण यंत्र उपलब्ध कराना है ।

2. देश की खाद्यान्न समस्या का हल बहुत कुछ सीमा तक फसलों की सुरक्षा पर निर्भर है । उन्नत बीज, रसायनिक खाद व उन्नत कृषि विधियां फसल की पैदावार बढाने में कारगर सिद्ध हुई है, परन्तु इसके साथ–साथ कीट रोगों में भी वृद्वि हुई है कीट–व्याधियों का प्रकोप फसलों में आर्थिक क्षति स्तर (Economic Threshold Level) से अधिक होने पर समन्वित कीट प्रबन्धन के अतिरिक्त फसलों में रसायनों का उपयोग (छिड़काव/भुरकाव) कर फसलों को होने वाली क्षति से बचाया जा सकता है। कीट एवं रोगों द्वारा फसलों की पैदावार में काफी हानि होती है, जो बीज बोने से फसल पकने व भन्डारण तक होती है । विभिन्न रसायनों की उचित मात्रा व समान रूप से पौधों पर छिड़काव हो सके इसके लिये आवश्यक है कि उन्नत पौध संरक्षण यंत्र काम में लिये जावें ।

3. पौध संरक्षण रसायन – चूर्ण/पाउडर/दानेदार/तरल/गैस रूप में उपलब्ध होते है । इनका उपयोग बीजोपचार, फसल पर भुरककर, घोल के रूप में छिडक कर तथा बन्द गोदामों में फयूमिगेशन के द्वारा किया जाता है । नई उन्नत किस्मों के प्रयोग व फसलों में पौध संरक्षण रसायन के महत्व को समझने के कारण कृषक स्वयं इनका प्रयोग करने लगे है। कीट–व्याधियों की रोकथाम में रसायन जितने सफल सिद्ध हुए है उतना ही इनके जहरीलेपन के कारण उपयोग में हर समय खतरा रहता है । इनके उपयोग में थोड़ी सी असावधानी से मनुष्य व जानवरों पर गभ्भीर दुष्प्रभाव पडता है ।

4. उन्नत पौध संरक्षण यंत्रों/रसायनों के प्रयोग के दौरान निम्न सावधानियां रखी जानी चाहिये
   - (i) कार्य शुरू होने से पहले यंत्र को चला कर जांच करलें, जोड़ो को अच्छी तरह कस दे तथा टूटे पार्टस बदल दें।
   - (ii) छिड़काव/भुरकाव करने वाले यंत्र सही हालत में काम करने वाला होना चाहिये तथा काम के बाद अच्छी तरह साफ कर रखना चाहिये ।
   - (iii) टंकी में हमेशा घोल को छानकर डालें ।
   - (iv) कार्य समाप्त होने के बाद छिड़काव यंत्र का समस्त घोल बाहर निकाल देवें ।
   - (v) रसायन का घोल टंकी में निर्देशित स्थान तक ही भरें ।
   - (vi) पम्प को उचित दाब पर ही चलाये ।
   - (vii) प्रत्येक कार्य दिवस की समाप्ति पर 3 से 5 मिनिट तक यंत्र को साफ पानी भरकर चलायें ।
   - (viii) यदि कोई तेलीय मिश्रण का छिड़काव किया गया हो तो यंत्र को धोवन सोडा से धोना चाहिये। इसके बाद साफ पानी से धोना चाहिये !
   - (ix) 2–4–डी के स्प्रे के बाद यंत्र को गर्म पानी एवं अमोनिया के घोल से अच्छी तरह धोना चाहिये ।

(x) कृषक (एक व्यक्ति) लगातार एक दिन में 4 घन्टे से ज्यादा छिड़काव कार्य न करें। उपयोगकर्ता द्वारा बैचेनी महसूस होने पर छिड़काव कार्य तुरन्त बन्द कर दे एवं आवश्यकता समझें तो तुरन्त चिकित्सक से परामर्श लेवें।

(xi) रसायनों का प्रयोग करते समय वयस्क एवं पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति ही कार्य करें इस व्यक्ति के शरीर पर किसी प्रकार का फोड़ा, घाव या बीमारी नहीं होनी चाहिये ।

(xii) खरपतवार नाशी एवं कीटनाशी रसायनों हेतु अलग–अलग यंत्र या पूरी तरह साफ कर ही यंत्रों का प्रयोग करें । छिड़काव यंत्र में मुंह लगाकर हवा नहीं दें और न ही इसमें भरे घोल को मुंह से खींचे ।

(xiii) रसायनों की मात्रा फसल सिफारिश अनुसार ही प्रयोग करें। कार्य प्रांरम्भ करने से पूर्व शुद्व पानी, साबुन, तोलियां पास में रखें।

(xiv) नंगें हाथो से घोल नहीं बनाये। दस्ताने पहन कर घोल बनाने के लिये छड़ी का इस्तेमाल करें ।

(xv) पौध संरक्षण रसायनों को बच्चों, अनभिज्ञ मनुष्यों तथा पालतू जानवरों की पहुंच से बाहर रखें ।

(xvi) रसायन के साथ खाने की वस्तुऐं व जानवरों का चारा न रखें ।

(xvii) रसायन के प्रयोग से पहले शीशी, डिब्बे व बेग के साथ लगे लेबल को ध्यान पूर्वक पढें व उनके या विभागीय कार्मिक द्वारा दी गई जानकारी अनुसार दवाई की मात्रा काम में लें । कीट व्याधियों के नियंत्रण हेतु उचित मात्रा में पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग करें।

(xviii) कन्टेनर को सावधानीपूर्वक खोले या तोडे, जिससे शरीर के अंगों पर रसायन न गिरे। खाली कन्टेनर को पानी के स्त्रोत या खेत में इधर–उधर न फेंक कर सावधानीपूर्वक सुरक्षित स्थान पर जमीन में गाड दें।

(xix) रसायनों का छिड़काव/भुरकाव सुबह या सायं के समय करें। तेज धूप, हवा तथा वर्षा के समय न करें । हवा की विपरीत दिशा में छिड़काव करते हुए न चलें यानि हवा पीछे से आगे की ओर चलती होनी चाहिये ।

(xx) रसायनों का छिड़काव/भुरकाव करते समय मशीन के नोजल को नीचे फसल की ओर रखें ।

(xxi) कार्य करते समय बीड़ी, सिगरेट या तम्बाकू न पिये ओर न ही खाद्य पदार्थो का सेवन करें ।

(xxii) पडोस के लोगो को भी फसल पर किये गये भुरकाव/छिड़काव की जानकारी देवें।

5. पौध संरक्षण उपकरण/रसायन वितरण हेतु कृषि विभाग के उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद नोडल अधिकारी होंगे।

6. पौध संरक्षण यंत्रो के वितरण का क्रियान्वयन विभिन्न योजनाओं यथा नेशनल मिशन ऑन आयलसीड एवं ऑयलपॉम (NMOOP) का मिनी मिशन–1/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन/गेहूं) एवं राज्य योजनान्तर्गत में आवंटित लक्ष्यानुसार किया जायेगा। योजनावार/उपकरणवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का अलग से आवंटन किया जावेगा।

7. पौध संरक्षण रसायन क्षेत्रफल की मांग कीट–व्याधि का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर संयुक्त निदेशक कृषि (पौध संरक्षण) को निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर कीट– व्याधि की सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रपत्र– 5 के साथ प्रस्तुत करने पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य आवंटित किये जावेगें (परिशिष्ठ–5)।

8. खरपतवारनाशी रसायनों की मांग एवं खरपतवार प्रकोप की विस्तृत रिपोर्ट प्रपत्र–3 के साथ संयुक्त निदेशक, कृषि (पौ.सं.) को प्रस्तुत करने पर भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया जावेगा (परिशिष्ठ–4)।